अति आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं

क्रमांक प.15(7)(5)विधि/आईसीडीएस/16–17/28384-730 जयपुर दिनांक 12/1/19

समस्त प्रभारी अधिकारी वाद,
मुख्यालय .... ।

समस्त प्रभारी अधिकारी एवं उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
.... ।

समस्त प्रभारी अधिकारी एवं
बाल विकास परियोजना अधिकारी,
.... ।

विषयः– प्रभारी अधिकारियों द्वारा न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी के दायित्वों अनुसार त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करने हेतु।

प्रायः यह देखने में आया है कि विभाग के न्यायिक प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों द्वारा प्रभारी अधिकारी के दायित्वो अनुसार पूर्ण रूप से कार्यवाही नहीं की जा रही है। प्रभारी अधिकारियों द्वारा लाईटस वेबसाईट पर एक ही केस का अलग–अलग एब्रीवेशन अकिंत कर प्रकरण को पुनः दर्ज कर दिया जाता है, जबकि वह प्रकरण प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के समय ही निदेशालय द्वारा लाईटस वेबसाईट पर दर्ज किया हुआ होता है। विभाग के न्यायिक प्रकरणों का निरन्तर रूप से अपडेशन भी नही किया जा रहा है। कई प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों द्वारा जवाब भी पेश नहीं करवाया हुआ है, जबकि इस संबंध में निदेशालय द्वारा निरन्तर रूप से प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिये जाते रहे है। प्रभारी अधिकारियो द्वारा निर्णय होने पर उसकी समय पर सूचना, संबंधित राजकीय अधिवक्ता की राय/दस्तावेजात/निर्णय पर स्वयं का प्रस्ताव नही भिजवाया जा रहा है, जिसके कारण निर्णय के विरूद्ध आगे अपील करने/नही करने में कठिनाई हो रही है। विभाग के न्यायालय प्रकरणों में प्रभावी/त्वरित कार्यवाही हेतु समस्त प्रभारी अधिकारियों को निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है–

1. न्यायालयों से नोटिस/वाद/रिट आदि प्राप्त होने की दिनांक को ही प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए उनकी प्रतियॉ निदेशालय को भिजवाई जावे, ताकि नियत दिनांक से पूर्व प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति किया जाना संभव हो सकें।

2. निदेशालय द्वारा विभाग के न्यायालय प्रकरणों मे प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति के समय ही लाईटस वेबसाईट पर दर्ज कर दिया जाता है इसलिए प्रभारी अधिकारी द्वारा पुनः स्वयं के स्तर से केस का इन्द्राज नहीं करे बल्कि अपडेशन की कार्यवाही यथा तारिख पेशी, जवाब प्रस्तुत करने की दिनांक, निर्णय आदि का अपडेशन निरन्तर रूप से किया जावें।

3. प्रभारी अधिकारी, राजस्थान विधि एवं विधिक कार्य विभाग नियमावली, 1999 के नियम 233 (प्रति संलग्न) में उल्लेखित दायित्व व कर्त्तव्यो की पालना के साथ–साथ प्रभारी अधिकारी नियुक्ति आदेश में अंकित निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे।

4. प्रभारी अधिकारियो द्वारा जिन न्यायालय प्रकरणों में अभी तक जवाब पेश नहीं कराया है उनमें आवश्यक रूप से नियमानुसार 15 दिवस के अन्दर न्यायालय में जवाब पेश करावे तथा जिन प्रकरणों में 15 दिवस से पूर्व ही तारिख पेशी नियत है उनमें नियत दिनांक से पूर्व ही जवाब पेश करवाया जाना सुनिश्चित करे। जवाब प्रस्तुत किये जाने का अपडेशन न्याय विभाग की वेबसाईट पर आवश्यक रूप से करे। साथ ही **निदेशालय को यह प्रमाण–पत्र भिजवावें कि न्यायालय में लम्बित प्रकरणों में जवाब पेश किया जाना शेष नहीं है।** बाल विकास परियोजना अधिकारी उक्त प्रमाण पत्र उप निदेशक के माध्यम से भिजवावे।

5. विभाग से संबंधित न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की नवीनतम तथ्यात्मक स्थिति संबंधित राजकीय अधिवक्ताओ/अतिरिक्त महाधिवक्तााअे को उपलब्ध करावे तथा संबधित अधिवक्ताओं से प्रकरण के संबंध में विचार विमर्श कर लेवे और आवश्यकता होने पर नवीन तथ्यात्मक स्थिति जरिये अतिरिक्त शपथ पत्र माननीय न्यायालयों में पेश करावे। नियत तारिख पेशीयों पर राजकीय अधिवक्ता के निरन्तर सम्पर्क में रहकर/न्यायालय में उपस्थित रहकर प्रभारी कार्यवाही करावें, ताकि प्रकरणों में एक पक्षीय कार्यवाही न होने पावें।

6. कई बार प्रभारी अधिकारियों द्वारा वाद/याचिकाओं/इजराय आदि में निर्धारित समयावधि में त्रुटियों को दूर नही कराया जाता है इस संबंध में प्रभारी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे राजकीय अधिवक्ताओं के निरन्तर सम्पर्क में रह कर त्रुटियो को यथा समय दूर करावे।

7. कई प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक सुनवाई के समय ही स्टे आदेश जारी कर दिया जाता है। ऐसे प्रकरणों में प्रभारी अधिकारियों को चाहिए कि वे तत्काल अधिवक्ता से सम्पर्क कर स्टे को वैकेट करवाने हेतु निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र पेश करवाकर स्टे को वैकेट करवाने की कार्यवाही करावे।

8. प्रभारी अधिकारियों द्वारा न्यायालय निर्णय होने पर विधि विभाग के आदेश क्रमांक प. 12(13)राज/वाद/2015 दिनांक 30.09.2015 (प्रति संलग्न) में अंकित उनसे संबंधित बिन्दुओं की आवश्यक रूप से पालना करे।

उक्त निर्देशो की कठोरता से पालना की जावे। उक्त निर्देशों की पालना नही होने की स्थिति में संबंधित प्रभारी अधिकारी (वाद) के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आयुक्त
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.15(8)(1)विधि/आईसीडीएस/17/28731-734 जयपुर दिनांक 12-2-18
प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव, शासन सचिव मबावि, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, आईसीडीएस, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक, आईसीडीएस, जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक, मबावि राजस्थान।
5. उप निदेशक, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु. को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अति. निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान जयपुर